कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांक 393/122/आउशि / शा. 5'अ' / 2020 भोपाल, दिनांक 11 / 06 / 2020

प्रति,

1. कुलसचिव,
   समस्त विश्वविद्यालय, म.प्र.
2. प्राचार्य,
   समस्त शासकीय / स्वशासी / अनुदान प्राप्त अशासकीय / अशासकीय महाविद्यालय, म.प्र.

विषय– स्नातक अंतिम वर्ष / स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाओं के संचालक में कोविड–19 के संबंध में दिशा–निर्देश।

सन्दर्भ– 1. मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक 311 / 67 / 2020 / 38 / सी.सी. भोपाल दिनांक 28 / 05 / 2020

2. कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल का पत्र क्रमांक 393 / 118 / आउशि / शा.5'अ' / 2020, भोपाल, दिनांक 01 / 06 / 2020

3. माननीय राज्यपाल महोदय के अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 06.06.2020

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों एवं निर्देशों के परिपालन में लेख है कि प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार में आने वाले महाविद्यालयों में दिनांक 29 जून 2020 से आरंभ होकर 31 जुलाई 2020 के मध्य स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है।

कोविड–19 की रोकथाम हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली / विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली / केन्द्र सरकार / मध्यप्रदेश शासन / संबंधित विश्वद्यालय द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं के सफलतापूर्वक संचालन हेतु समस्त कुलसचिव, प्राचार्य, परीक्षा केन्द्र अधीक्षक तथा परीक्षार्थियों के लिये परिशिष्ट–एक, दो एवं तीन के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं के संबंध में जारी निर्देशों का कृपया पालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।
(प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित)

11/6/20

(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक 400 / 122/आउशि / शा–5'अ' / 2020 भोपाल, दिनांक 11 / 06 / 2020

प्रतिलिपि–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय,राजभवन सचिवालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3. निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग,भोपाल।
4. निज सहायक, कुलपति, समस्त विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश।
5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय, विनियामक आयोग, भोपाल।
6. कुल सचिव, समस्त विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश।
7. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (आई.टी.सैल) उच्च शिक्षा संचालनालय,सतपुड़ा भवन, भोपाल।

.... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

परिशिष्ट–1

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

विश्वविद्यालय परीक्षाओं के संबंध में समस्त विश्वविद्यालय के कुलसचिव के लिए निर्देश

विषय–कोविड–19 को दृष्टिगत रखते हुए स्नातक अंतिम वर्ष/स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश।

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली/केन्द्र सरकार/मध्यप्रदेश शासन/संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा कोविड–19 के संदर्भ में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

2. यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा आरम्भ के समय विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार वाले स्थलों पर निवासरत न होने के कारण जून–जुलाई 2020 से आयोजित होने वाली परीक्षा से वंचित होता है तो ऐसे परीक्षार्थियों के लिए पृथक से परीक्षा आयोजन की विश्वविद्यालय द्वारा व्यवस्था की जाए।

3. परीक्षा संचालन के दौरान किसी परीक्षा केन्द्र के आकस्मिक रूप से हॉट–स्पॉट की श्रेणी में चिन्हित होने पर वैकल्पिक परीक्षा केन्द्र के रूप में भवन एवं परीक्षा आयोजन की व्यवस्था के लिए संबंधित विश्वविद्यालय से सम्पर्क कर आवश्यक तैयारी पूर्ण की जाए।

4. कोविड–19 की रोकथाम हेतु परीक्षा केन्द्रों में शारीरिक दूरी के अनुसार बैठक व्यवस्था/वीक्षकों की संख्या में वृद्धि/थर्मल स्केनिंग इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा संचालन हेतु केन्द्र व्यय की समुचित राशि परीक्षा आरंभ के पूर्व प्रदान किया जाए।

5. ऐसे परीक्षार्थी जो लॉकडाउन की अवधि में अपने परीक्षा केन्द्रों से पृथक स्थानों पर हैं और उन्होंने अपनी जानकारी उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल के माध्यम से अद्यतन की हैं, उनकी परीक्षायें संबंधित विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले निकट के परीक्षा केन्द्र पर आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6. कोरोना (कोविड–19) के संदर्भ में भवन सैनिटाइजेशन आदि के लिए स्थानीय प्रशासन के सहयोग से नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत के माध्यम से यह कार्य पूर्ण कराया जाए। यदि आवश्यक हो तो सैनिटाइजेशन, मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्केनिंग उपकरण आदि की व्यवस्था पर आने वाले वित्तीय भार को जनभागीदारी समिति के मद/विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के संचालन के लिए उपलब्ध मद से नियमानुसार क्रय किया जाए।

निरन्तर...2,

7. प्रदेश के समस्त शासकीय महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परीक्षाओं में आदि की तैयारी के लिए दिनांक 15/06/2020 से प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों को कार्यालयीन कार्य के लिए उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाए।

8. प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी होगी कि परीक्षा केंद्र पर उपरोक्त जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करेंगे ।

9. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र कमांक 399/आउशि/शा 5'अ'/2020, भोपाल दिनांक 10/06/2020 के साथ संलग्न परिशिष्ट 1, 2, एवं 3 अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने तथा मॉनिटरिंग करते हुए पूर्णतया शान्तिपूर्ण एवं अनुशासित रूप में परीक्षाओं का संचालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित)

11/6/20

(डॉ0 धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल

परिशिष्ट-2

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

विश्वविद्यालय परीक्षाओं के संबंध में समस्त शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त अशासकीय/अशासकीय महाविद्यालय के प्राचार्यो/केन्द्र अधीक्षकों के लिए निर्देश

विषय- जून-जुलाई 20-20 में संचालित होने वाली विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं के संबंध में कोविड-19 के सम्बद्ध में आवश्यक दिशा निर्देश ।

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली/ केंद्र सरकार/मध्य प्रदेश शासन/संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा कोविड-19 के संदर्भ में समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

2. प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों क्षेत्राधिकार में आने वाले परीक्षा केंद्रों पर विश्वविद्यालय की परीक्षाएं यथासंभव सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में संपन्न होंगी ।

3. प्रदेश के समस्त शासकीय महाविद्याल/ विश्वविद्यालय परीक्षाओं में आदि की तैयारी के लिए दिनांक 15/06/2020 से प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों को कार्यालयीन कार्य के लिए उपस्थित होने हेतु निर्देशित करेंगे।

4. प्रदेश के समस्त स्वशासी महाविद्याल में स्नातक अंतिम वर्ष/स्नातक में चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा का संचालन जुलाई 2020 में आयोजित किया जाये। इसके साथ ही इनके परीक्षा परिणाम अगस्त 2020 तक अनिवार्यरूप से घोषित किये जाये।

5. प्रदेश के समस्त स्वशासी महाविद्यालय जुलाई 2020 में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में जो परीक्षार्थी कतिपय कारणों से शामिल नहीं हो पा रहे हैं उनकी परीक्षायें पृथक से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6. संबंधित विश्वविद्यालयों की ओर से शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए आवश्यकतानुसार यदि विभिन्न अशासकीय महाविद्यालय /शासकीय /अशासकीय विद्यालयों आदि को परीक्षा केंद्र /उपपरीक्षा केंद्र के रूप में निर्मित किया जाता है तो वहां पर संबंधित शासकीय महाविद्यालय से एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाए ।

7. पर्यवेक्षकों को संबंधित शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा पहचान पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे । यदि किसी पर्यवेक्षक के पास पहचान पत्र नहीं है तो परीक्षा अधीक्षक संबंधित शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य से जानकारी लेकर उनकी पहचान पत्र बनाने के लिए अधिकृत होंगे ।

8. शारीरिक दूरी के संदर्भ में निर्मित परीक्षा केंद्रों / उप परीक्षा केंद्रों पर पर्यवेक्षक की उपस्थिति में एवं सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में प्रश्न पत्र खोलना अनिवार्य होगा ।

9. जिन परीक्षा केंद्रों पर शारीरिक दूरी के संदर्भ में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है उन परीक्षा केंद्रों / उपपरीक्षा केंद्रों पर परीक्षा समाप्ति के पश्चात उत्तर पुस्तिकाओं के सील लिफाफा के ऊपर पर्यवेक्षक के समय के साथ हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे ।

10. संस्थाएं अपने वरिष्ठ परीक्षा अधीक्षक / परीक्षा अधीक्षक का नाम, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, ईमेल आईडी की जानकारी संबंधित विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को उनके ईमेल आईडी पर दिनांक 20 जून 2020 तक अनिवार्य रूप से प्रेषित करेंगे। परीक्षा कार्य हेतु नियुक्त किए गए सभी अधिकारी-कर्मचारियों की जानकारी परीक्षा नियंत्रक कार्यालय को अनिवार्य रूप से ईमेल पर भेजना सुनिश्चित करेंगे ।

11. परीक्षा कार्य में लगे सभी अधिकारी कर्मचारियों को पहचान पत्र जारी किया जाना आवश्यक होगा ।

12. परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा समयावधि में निर्माण कार्य पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा ।

13. विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर उड़न दस्ते की टीम आकस्मिक निरीक्षण हेतु उपस्थित होती रहेगी। उनके द्वारा मांगे जाने पर परीक्षा संबंधी जानकारी आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी और उनकी निरीक्षण रिपोर्ट के पालन प्रतिवेदन का ध्यान रखा जाएगा ।

14. विश्वविद्यालय द्वारा गठित उड़न दस्ते का दायित्व होगा कि परीक्षा केंद्रों पर औचक निरीक्षण के समय उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

15. विश्वविद्यालय परीक्षाओं के आरंभ होने के तीन दिवस पूर्व वीक्षको एवं कर्मचारियों की बैठक आयोजित की जाए तथा कोरोना कोविड-19 के संदर्भ में परीक्षा नियमों की संपूर्ण जानकारी बैठक के दौरान उन्हें दी जाए एवं यह भी बता दिया जाए कि परीक्षा कक्ष में मोबाइल आदि ले जाना प्रतिबंधित है ।

16. परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा परिसर में केवल परीक्षा में कार्यरत शिक्षकों / स्टाफ को ही प्रवेश की पात्रता होती है । संस्था के अन्य किसी भी ऐसे अधिकारी / शिक्षक / स्टाफ जिनकी नियुक्ति परीक्षा कार्य के लिए नहीं की गई है उन्हें परीक्षा परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी ।

17. संस्था प्रमुख को भी परीक्षा अवधि में संस्था में ही उपस्थित रहना अनिवार्य होगा क्योंकि प्राचार्य ही परीक्षा के वरिष्ठ परीक्षा अधीक्षक नियुक्त किए जाते हैं ।

18. परीक्षाओं के दौरान बिजली न रहने पर जनरेटर की व्यवस्था संस्थाओं द्वारा की गई है उन्हें चालू अवस्था में रखा जाए ताकि बिजली न रहने पर परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो ।

19. संस्था प्रमुख एवं केंद्र अधीक्षक इस बात पर विशेष ध्यान दें कि कंट्रोल रूम में फोटोकॉपिर मशीन चालू अवस्था में रखी जाए ।

20. संस्था द्वारा परीक्षा केंद्रों के संपूर्ण कक्ष, प्रसाधन, कॉरिडोर तथा सीढ़ियाँ आदि को परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व तथा परीक्षा अवधि समाप्त होने के बाद प्रतिदिन सेनीटाइज किया जाना आवश्यक होगा ।

21. प्रत्येक संस्था के पास कम से कम 5 थर्मल स्केनिंग उपकरण उपलब्ध होना चाहिए, जिससे परीक्षार्थियों का तापमान लिया जा सके।

22. परीक्षा केंद्र पर परीक्षाओं का संचालन यथासंभव भूतल, प्रथम एवं द्वितीय तल का ही प्रयोग कर किया जाए। सीढ़ियों का उपयोग करते समय शारीरिक दूरी का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए।

23. संस्था द्वारा परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों द्वारा उपयोग में लाए गए बैग को सुरक्षित स्थान में रखकर बैगों को संगठित किया जाना आवश्यक होगा।

24. परीक्षा केंद्रों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों द्वारा बैठक व्यवस्था एवं अन्य निर्देशों की विस्तृत जानकारी प्रसारित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

25. महाविद्यालयों में सीटिंग प्लान को अधिकतम स्थानों पर प्रदर्शित करें और उन स्थानों के आस-पास गोले बनाकर रखें जिससे कि शारीरिक दूरी का पालन किया जा सके ।

26. परीक्षा कक्ष के बाहर गैलरी में सोशल डिस्टेंसिंग (शारीरिक दूरी) के पालन हेतु निश्चित दूरी के साथ गोला बनाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

27. परीक्षा कक्षा में भी जिस सीट पर किसी परीक्षार्थी को नहीं बैठना है उस सीट पर क्रॉस का चिन्ह लगाएं एवं परीक्षा कक्ष में सीटों के साइड से चलने वाली जगह में भी शारीरिक दूरी के हिसाब से गोले बनाकर रखें जिससे कि शारीरिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) बनी रहे।

28. परीक्षा केंद्र द्वारा परीक्षाओं के संचालन हेतु केंद्र अधीक्षक द्वारा वीक्षकों तथा कर्मचारियों की आवश्यकता अनुसार ही ड्यूटी लगाई जाए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन

सुनिश्चित किया जा सके परीक्षा दिनांक को परीक्षा कार्य में संलग्न स्टाफ को प्रत्येक पाली के आरंभ होने से एक घंटा 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य होगा ।

29. परीक्षा केंद्र पर उपस्थित वीक्षको एवं कर्मचारियों को मास्क एवं ग्लब्स का उपयोग करना अनिवार्य होगा । इसके साथ ही वीक्षको एवं कर्मचारियों को अपने पास छोटी बोतल में सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा ।

30. प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों को मास्क लगाकर उपस्थित होना अनिवार्य होगा । यदि किसी कारण से परीक्षार्थी के पास मास्क ना हो तो संस्था द्वारा परीक्षार्थी को मास्क उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की जाएगी ।

31. छात्रों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश के समय अपने साथ मास्क, सैनिटाइजर, मेडिसिन (यदि परीक्षार्थी पूर्व से उपयोग कर रहा है तो) तथा पानी की बोतल ले जाने की अनुमति रहेगी।

32. परीक्षा केंद्रों पर प्रत्येक कक्ष में शारीरिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) का पालन करते हुए परीक्षार्थियों की बैठक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा अधिकतम 20 परीक्षार्थियों के अनुपात में एक ही वीक्षक की सेवाएं प्राप्त की जाए ।

33. संस्था द्वारा परीक्षा केंद्र में परीक्षा कक्ष की बैठक व्यवस्था के दौरान प्रत्येक परीक्षार्थी के मध्य कम से कम एक मीटर की दूरी रखना अनिवार्य होगा तथा महाविद्यालय द्वारा सूचना पटल पर मॉडल सीटिंग प्लान उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा ।

34. वीक्षक द्वारा परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थियों की सीटिंग प्लान अनुसार परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थियों के प्रवेश से पूर्व ही उत्तर पुस्तिकाओं को वितरित किया जाना आवश्यक होगा।

35. वीक्षक द्वारा परीक्षार्थियों के उपस्थिति पत्रक आदि में हस्ताक्षर कराते समय तथा मुख्य उत्तर पुस्तिकाओं में परीक्षार्थी द्वारा की गई प्रविष्टियों की जांच करते समय परीक्षार्थी से पर्याप्त दूरी बनाकर रखा जाना सुनिश्चित किया जाए ।

36. पूरक उत्तर पुस्तिकाओं के वितरण में सुरक्षा का ध्यान रखते हुए परीक्षार्थी से पर्याप्त दूरी से पूरक उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण किया जाए ।

37. परीक्षा केंद्र पर परीक्षा समाप्ति के बाद परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका अपने स्थान पर ही रखकर परीक्षा कक्ष से शारीरिक दूरी का पालन करते हुए प्रस्थान करेंगे तथा वीक्षक द्वारा ग्लब्स का उपयोग करते हुए उत्तर पुस्तिकाओं को एकत्रित कर परीक्षा केंद्र अधीक्षक के पास जमा कराएंगे ।

38. परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा केंद्र पर परीक्षा आरंभ होने के 1 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा जिससे कि शारीरिक दूरी सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए बैठक व्यवस्था इत्यादि की कार्यवाही पूर्ण की जा सके ।

39. परीक्षा केंद्रों में परीक्षा कक्ष तक जाने के लिए अनेक प्रवेश द्वार बनाए जाए जिससे कि शारीरिक दूरी का कड़ाई से पालन हो सके ।

40. परीक्षा केंद्र पर परीक्षा कक्ष में जाने के समय पर्याप्त दूरी से परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र आदि की जांच की जाए तथा शारीरिक दूरी का पालन करते हुए परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जाए ।

41. परीक्षार्थी परीक्षा समाप्त होने के पूर्व एवं परीक्षा समाप्त होने के बाद समूह बनाकर एकत्रित ना हो । यह सुनिश्चित करें कि परीक्षा समाप्ति के पश्चात परीक्षार्थी को सीधे घर जाने हेतु निर्देशित किया जाए ।

42. परीक्षा केंद्र पर जांच के दौरान थर्मल स्क्रीनिंग परीक्षण में किसी प्रकार की असमान्यता पाए जाने पर या अन्य किसी प्रकार की शारीरिक परेशानी होने पर संबंधित परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी की बैठक व्यवस्था पृथक से की जाएगी एवं ऐसे परीक्षार्थी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे आगामी परीक्षा दिवस के पूर्व अधिकृत चिकित्सक से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर प्रमाण पत्र परीक्षा केंद्र पर प्रस्तुत करेंगे ।

43. कई संस्थाओं को अन्य संस्थाओं के परीक्षार्थियों के लिए भी परीक्षा केंद्र बनाया जा सकता है अतः प्रत्येक परीक्षा केंद्र अतिरिक्त परीक्षा कक्षों में शारीरिक दूरी के हिसाब से बैठक व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे।

44. कंटेनमेंट क्षेत्र से किसी केंद्र को अन्यत्र परिवर्तित किया जाता है तो उस परीक्षा केंद्र के परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र परिवर्तन की समुचित जानकारी से अवगत कराया जाना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय अपने अपने स्तर से परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र परिवर्तन की सूचना एसएमएस के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे।

45. कंटेनमेंट जोन में यदि कोई परीक्षा केंद्र निर्धारित है अथवा किसी परीक्षा केंद्र/महाविद्यालय को नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से संक्रमित व्यक्तियों के लिए क्वॉरंटाइन सेंटर बनाया गया हो तो ऐसे क्षेत्र के परीक्षा केंद्र विश्वविद्यालय को तत्काल अवगत कराएं तथा विश्वविद्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार परीक्षा केन्द्र की व्यवस्था की कार्यवाही पूर्ण की जाए।

46. कोरोना कोविड़-19 के संदर्भ में भवन सैनिटाइजेशन आदि के लिए स्थानीय प्रशासन के सहयोग से नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत के माध्यम से यह कार्य पूर्ण कराया

जाए। यदि आवश्यक हो तो सैनिटाइजेशन, मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्केनिंग उपकरण आदि की व्यवस्था पर आने वाले वित्तीय भार को जनभागीदारी समिति के मद/विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के संचालन के लिए उपलब्ध मद से किया जाए।

47. विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए महाविद्यालय के प्राध्यापकों को मूल्यांकन कार्य हेतु निर्देशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। जिससे निर्धारित समयावधि में परीक्षा परिणाम घोषित किया जा सके।

48. सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा पूर्व परीक्षा संबंधी दिशानिर्देशों का मॉक टेस्ट अनिवार्य रूप से संपन्न कराया जाए ।

49. प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों की जिम्मेदारी होगी कि परीक्षा केंद्र पर उपरोक्त जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करेंगे ।

50. प्रदेश के समस्त शासकीय /स्वशासी /अशासकीय महाविद्यालय उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 399/आउशि/शा. 5'अ'/2020 दिनांक 10/06/2020 के परिपालन में करोना (कोविड-19) के संदर्भ में शारीरिक दूरी (सोशल डिस्टेंशिंग) का पालन सुनिश्चित करेंगे।

(प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित)

11/6/20

(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

परिशिष्ट–3

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

विश्वविद्यालय परीक्षाओं के संबंध में परीक्षार्थियों के लिए दिशा निर्देश।

विषय– दिनांक 29 जून 2020 से 31 जुलाई 2020 तक आयोजित स्नातक अंतिम वर्ष और स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षार्थियों हेतु कोविड–19 की रोकथाम हेतु अति–आवश्यक निर्देश।

1. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य होगा। परीक्षार्थी स्वयं के साथ प्रवेश पत्र, मास्क, सैनिटाइजर, पानी की बोतल तथा आवश्यक दवाईयां (यदि परीक्षार्थी पूर्व से उपयोग करता हो) ले जाना सुनिश्चित करेंगे।
2. परीक्षा केन्द्र द्वारा कोविड–19 की रोकथम हेतु अपनायी गई व्यवस्था हैण्ड सेनेटाइजेशन, थर्मल स्क्रीनिंग में महाविद्यालय प्रशासन का सहयोग करेंगे एवं परीक्षा केन्द्र में प्रवेश हेतु शारीरिक दूरी का पालन सुनिश्चित करते हुए अपने कम का इन्तजार करेंगे। विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु यह व्यवस्था आवश्यक है, जो परीक्षार्थी हित में है।
3. परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी परीक्षा हेतु आवश्यक सामग्री (पेन, पेंसिल इत्यादि) स्वयं अपने साथ लेकर आए। कोविड–19 से बचाव को दृष्टिगत रखते हुए अन्य परीक्षार्थी से कोई भी सामग्री का आदान –प्रदान ना करें, यह परीक्षार्थी के हित में होगा।
4. परीक्षार्थी परीक्षा आरंभ होने के पूर्व एवं परीक्षा समाप्त होने के बाद किसी भी स्थान पर विद्यार्थियों का समूह बनाकर एकत्रित ना हों, परीक्षार्थी परीक्षा समाप्ति के बाद सीधे घर जाएं।
5. परीक्षा केन्द्र पर जांच के दौरान थर्मल स्क्रीनिंग परीक्षण में शरीर के तापमान में किसी प्रकार की असमानता पाए जाने पर या अन्य किसी प्रकार की शारीरिक परेशानी होने पर संबंधित परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थियो की बैठक व्यवस्था पृथक कक्ष में की जावेगी एवं ऐसे परीक्षार्थी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे आगामी प्रश्न पत्र परीक्षा के पूर्व अधिकृत चिकित्सक से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर प्रमाण पत्र परीक्षा केन्द्र पर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।
6. स्नातक अंतिम वर्ष/स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमिस्टर के परीक्षार्थी यदि कतिपय कारणों से जून–जुलाई 2020 की विश्वविद्यालय परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पा रहे है तो इसकी विधिवत सूचना संबंधित महाविद्यालय के ई–मेल पर प्रेषित कर अवगत करायेंगे तथा ऐसे परीक्षार्थियों की परीक्षायें संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पृथक से आयोजित की जाएंगी।
7. प्रदेश के समस्त स्वशासी महाविद्यालय में अध्ययनरत परीक्षार्थियों की परीक्षायें भी जुलाई 2020 में आयोजित कर अगस्त 2020 में परीक्षा परिणाम घोषित किये जायेंगे। इन परीक्षार्थियों को अपने परीक्षा केन्द्र में ही आयोजित होने वाली परीक्षाओं में शामिल होना होगा। यदि कोई परीक्षार्थी जुलाई 2020 की परीक्षा में शामिल नहीं हो पाते हैं तो उनकी परीक्षायें पृथक से आयोजित की जाएगी।

निरन्तर...2.

8. उक्त निर्देश परीक्षार्थियों के हितार्थ जारी किए जा रहे हैं अतः समस्त परीक्षार्थी इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।

(प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित)

11/6/20

(डॉ0 धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल